scales is being allowed to some States/UTs in view of special circumstance prevailing there. Accordingly, about 3.35 lakh tonnes of sugar is being allotted as levy for distribution under the Public Distribution System. In addition to the above, Government releases about one lakh tonnes per annum as festival quota which is allotted to the States/UTs in proportion to their monthly levy allocations. An ad-hoc increase of 5 per cent in the monthly levy sugar quota of all States/UTs allowed since August, 1991, keeping in view the increase availability of sugar at that time, has been withdrawn with effect from the levy sugar allocation of April, 1994, on account of the decline in sugar production in two consecutive sugar seasons, i.e. 1992-93 and 1993-94.

On the above basis, the allocation of levy sugar to the State of Orissa during the last three years is given as under:

	(M.Ts)
[i] Normal Monthly Quota of levy sugar	12,393
(ii) Monthly 5% ad-hoc increase (allowed from August, 1991 to March 1994)	620
(iii) Yearly festival quota	3,730

(c) Orissa Government has requested to enhance their monthly levy sugar quota to 14,500 M.Ts on the basis of the projected population of 1994.

(d) and (e) In view of the decline in sugar production during the last two consecutive sugar seasons, i.e. 1992-93 and 1993-94, it has not been possible till yet to enhance the levy sugar allocations of the States/UTs.

Export of wheat and rice

6790. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that wheat and rice are being exported from the country;

(b) whether it is a fact that India's ports do not have facilities to handle grains in such a big quantity and that there is no arrangements for determining the quality of grains for export: and

(c) if so, what measures are being taken to expedite such exports?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir. Only non-durum wheat and fine/superfine/Basmati rice have been allowed to be exported in 95-96 so far.

(b) The Ministry of Surface Transport has informed that adequate facilities are available at Indian Ports for export of foodgrains if exports are planned and made in a regular manner.

(c) A high level Committee has been set up to examine aspects of export by F.C.I. and/or sale of wheat and rice by F.C.I. for export purposes. A number of interministerial coordination meetings have been held in the Ministry of Food to locate constraints in export of foodgrains and to seek solutions thereof.

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

6791. प्रो. राम बक्श सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के स्थायी और अस्थायी गोदामों की जिला-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) वर्ष 1993-94 से किन किन जिलों के अस्थायी गोदामों में खाद्यान्न सड़ रहा है;

(ग) सड़ रहे खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम फर्रूखाबाद जनपद में अपने गोदाम बनाने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) 1-3-1995 को स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के स्थायी और अस्थायी गोदामों की कुल संख्या 283 है जिसमे से 224 स्थायी और 59 अस्थायी गोदाम है । इन गोदामों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । (नीचे देखिए)

(ख) वास्तव में किसी भी अस्थायी गोदामों में कोई खाद्यान्न नहीं सड़ रहा है । तथापि, कुछक अस्थायी गोदामों में खाद्यान्नों की नगण्य मात्रा क्षतिग्रस्त हुई हैं ।

1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश के देहरादून, हल्द्वानी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत जिलों में स्थित कुछेक अस्थायी गोदामों में खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हुई थी ।

(ग) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिला	गोदामों का नाम	क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (मीटरी टन में)
देहरादून	ऋषिकेश	4.750
हलद्वानी	सीतागंज	0.420
शाहजहांपुर	बांदा	0.670
मुरादाबाद	बदायू	2.500
मुरादाबाद	मुरादाबाद	14.970
पीलीभीत	पीलीभीत	1.370
	जोड़ :	24.680

इस सम्बंध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. सभी अस्थायी गोदामों में रिसाव को रोकने के लिए तत्काल पग उठाए गए हैं ।

2. अस्थायी गोदामों में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर रोग निरोध और रोगहर उपचार किए जाते हैं और खाद्यान्नों को उचित रूप से पोलीथीन की चादरों से ढका जाता है ।

(घ) और (ङ) 1995-96 के दौरान फर्रूखाबाद जिले में भारतीय खाद्य निगम के अपने स्वयं के गोदाम बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, भारतीय खाद्य निगम का आगामी वर्षों में फर्रूखाबाद जिले में गोदामों का निर्माण, करने का प्रस्ताव है । यह सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक स्रोत और उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर ही संभव हो पाएगा ।

नोट : स्थायी गोदाम निगम के ढके हुए गोदाम ।

अस्थायी गोदाम : जहां भण्डारण खुले काम्पलेक्स में किया जाता है ।

विवरण

1-3-95 को स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में (जिला-वार) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्थायी और अस्थायी गोदामों की संख्या की जानकारी देने वाली सूची

क्रम संख्या	जिला का नाम	गोदामों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	जोड़
1	2	3	4	5
1	आगरा	2	1	3
2	फिरोजाबाद	2	—	2
3	मैनपुरी	4	—	4
4	बरेली	6	3	9
5	पीलीभीत	8	4	12
6	बुलन्दशहर	12	4	16
7	बाराबंकी	1	1	2
8	फैजाबाद	3	—	3
9	सुल्तानपुर	2	—	2
10	बस्ती	2	1	3
11	गोरखपुर	4	1	5
12	महराजगंज	1	—	1
13	सिद्धार्थ नगर	1	—	1
14	गाजियाबाद	3	1	4
15	मेरठ	2	—	2
16	नैनीताल	24	8	32
17	पिथौरागढ़	1	—	1
18	रामपुर	5	2	7
19	जालौन	2	—	2
20	झांसी	6	2	8
21	ललितपुर	2	1	3
22	एटावा	4	—	4
23	फरूखाबाद	3	—	3
24	कानपुर	4	1	5
25	लखनऊ	4	1	5
26	रायबरेली	4	1	5
27	उन्नाव	2	—	2

1	2	3	4	5
28	बदायूं	5	2	7
29	बिजनौर	3	—	3
30	मुरादाबाद	8	1	9
31	मुजफ्फरपुर	3	—	3
32	सहारनपुर	3	—	3
33	जौनपुर	2	—	2
34	मिर्जापुर	1	1	2
35	सोनभद्र	2	—	2
36	वाराणसी	2	1	3
37	देहरादून	4	—	4
38	टिहरीगढ़वाल	1	—	1
39	इलाहाबाद	3	1	4
40	फतेहपुर	3	—	3
41	प्रतापगढ़	1	—	1
42	आजमगढ़	4	1	5
43	देवरिया	3	—	3
44	मऊ	1	—	1
45	बांदा	5	1	6
46	हमीरपुर	2	1	3
47	बलिया	1	—	1
48	गाजीपुर	1	—	1
49	बहराइच	3	—	3
50	गोंडा	4	—	4
51	हरदोई	8	2	10
52	लखीमपुरखीरी	7	5	12
53	सीतापुर	4	1	5
54	शाहजहांपुर	10	8	18
55	हरिद्वार	4	—	4
56	पौड़ीगढ़वाल	2	—	2
57	अलीगढ़	5	2	7
58	एटा	2	—	2
59	मथुरा	3	—	3
	जोड़	224	59	283